



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265864
CG-DL-E-01092025-265864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]
No. 554]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2025/भाद्र 10, 1947
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2025/BHADRA 10, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2025

(आय-कर)

सा.का.नि. 598(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चड) के चौथे परंतुक, पांचवे परंतुक और छठे परंतुक तथा स्पष्टीकरण 3 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पच्चीसवाँ संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम 1962 के नियम 2घगक में,-
(क) उपनियम (2) के चौथे परंतुक में,-

(i) “2025-26” अंकों के स्थान पर “2031-32” अंक रखे जाएंगे;

(ii) “2024-25” अंकों के स्थान पर “2030-31” अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) के चौथे परंतुक में,-

(i) “2025-26” अंकों के स्थान पर “2031-32” अंक रखे जाएंगे;

(ii) “2024-25” अंकों के स्थान पर “2030-31” अंक रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (4) के तीसरे परंतुक में,-

(i) “2025-26” अंकों के स्थान पर “2031-32” अंक रखे जाएंगे;

(ii) “2024-25” अंकों के स्थान पर “2030-31” अंक रखे जाएंगे;

(घ) स्पष्टीकरण 1 में,-

(i) खंड (घ) में, “2024” अंकों के स्थान पर “2030” अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ङ) में, “2024” अंकों के स्थान पर “2030” अंक रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ज) के परंतुक में, “2024-25” अंकों के स्थान पर “2030-31” अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 141/2025/फा.सं. 370142/30/2025-टीपीएल]

रोहित सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण:- आय-कर नियम, 1962 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 566(अ), तारीख 21 अगस्त 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।